[2020] 7 एस०सी०आर० 173

गंगाधर उर्फ गंगाराम

बनाम

स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश

(दाण्डिक अपील संख्या 504 सन् 2020) अगस्त 05, 2020

[आर०एफ० नरीमन और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्तिगण]

स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985- धारा 8 सी० सपठित धारा 20(बी)(ii)(सी०)- अपीलार्थी को 1985 के अधिनियम की धारा 8 सी० सपठित धारा 20(बी)(ii)(सी०) के अन्तर्गत 48 किलो ग्राम 200 ग्राम गांजे की बरामदगी के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया- अपीलार्थी को निचली अदालत द्वारा उस घर का स्वामी माना गया जहाँ से गांजा बरामद हुआ- अपीलार्थी का प्रतिरक्षा में यह कथन कि उसके द्वारा मकान को सहअभियुक्त को विक्रय कर दिया गया है निरस्त कर दिया गया- अभिनिर्णित; अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत मकान का विक्रय करार अभिलेख दिनांकित-12.06.2009 तत्परता से प्रस्तुत किया गया- उक्त दस्तावेज की विशुद्धता का अन्वेषण पुलिस द्वारा नहीं किया गया न ही पंचायत अभिलेख का सत्यापन किया गया- अपीलार्थी को मतदाता सूची वर्ष 2008 में नाम दर्ज होने के दृष्टिगत दोषी मानते हुए दोषसिद्ध किया गया है इस तथ्य से अनभिज्ञ हो करके कि विक्रयकरार 12.06.2009 के पश्चात् का था- अभियोजन द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि विक्रयकरार फर्जी एवं काल्पनिक था- इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा सहअभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं प्रस्तुत की गयी। उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति के दृष्टिगत यह धारणा करना सम्भव नहीं है कि अभियोजन द्वारा अपीलार्थी का मकान के साथ सचेत कब्जा स्थापित किया गया है ताकि स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध उपधारणा की जा सके प्रतिबन्धित माल के बरामदगी के सम्बन्ध में- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का घोर गलत मूल्यांकन किया गया और पुलिस अन्वेषण भी अत्यधिक लापरवाही से, बिना रुचि के तथा तुच्छ प्रकृति का था- इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि अक्षरणीय है। अतः अपास्त किया जाता है। अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित किया गया- 1- चूंकि पुलिस प्रश्नगत मकान के स्वामित्व व कब्जे के सम्बन्ध में असमंजस की स्थिति में जो त्रुटिपूर्ण त्रुटियुक्त और अपूर्ण अन्वेषण के कारण थी जिस कारण अपीलार्थी को आलिप्त करना सुविधापूर्ण हो गया आशावादी रूप से कम से कम 173 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (2020) 7 एस०सी०आर० दो में एक दोषसिद्ध हो सकता था। यह सही रूप से प्रस्तुत किया गया कि सामान्य मानवीय विवेक के अनुसार यह तर्कसंगत है कि अपीलार्थी जो कि अपने नये मकान में 15 वर्षों से निवास कर रहा था वह अपने भूतपूर्व मकान की पहचान करेगा अभियुक्त बनने हेतु ताला तोड़वाने हेतु साक्षी बनने एवं बरामदगी हेतु अपने को फंसाने के लिए (पैरा 11) 178-बी०-सी०)

2- अपीलार्थी द्वारा विक्रयकरार, प्रदर्श पी०-28 तत्परता से प्रतिबन्धित माल की बरामदगी के अगले दिन प्रस्तुत कर दिया गया था उसकी विशुद्धता को पुलिस द्वारा अन्वेषित नहीं किया गया था और न पंचायत अभिलेख का सत्यापन किया गया। पंचायत अभिलेख लोक दस्तावेज है और मकान के स्वामित्व एवं कब्जे के निर्धारण हेतु सर्वोत्तम साक्ष्य होते। सर्वोच्च साक्ष्य होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा विचार कर प्रमाणपत्र प्रदश पी०-37 जो कि अभियोजन साक्षी-14 द्वारा हस्ताक्षरित किया गया जिसने अपने हस्ताक्षर को अभिस्वीकार किया परन्तु प्रमाणपत्र के विषयवस्तु से इन्कार किया गया को प्राप्त किया गया। मतदाता सूची की प्रविष्टि जो कि वर्ष 2008 की थी वह विक्रय के पहले का कोई परिणाम नहीं है। यह भी बिना कारण कि सहअभियुक्त फरार है। पैरा-12(178 डी०-ई०)

3- अपीलार्थी को मतदाता सूची वर्ष 2008 में स्वामी होने के दृष्टिगत दोषी मानते हुए दोषसिद्ध किया गया है इस तथ्य से अनभिज्ञ हो करके कि विक्रयकरार 2.06.2009 के पश्चात् का था- अभियोजन द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि प्रदर्श पी०-18 फर्जी एवं काल्पनिक था- अभियोजन द्वारा सहअभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं प्रस्तुत की गयी। (पैरा 13)(178-एफ०जी०)

4- उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति के दृष्टिगत यह धारण करना सम्भव नहीं है कि अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के साथ मकान का सचेत कब्जा स्थापित किया गया है ताकि स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिबन्धित माल के बरामदगी के सम्बन्ध में उपधारणा की जा सके- अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार की नींव अनुमान और अनुमान एवं सम्भाव्यता की प्रधानता की समाप्ति पर नहीं हो सकती जबतक अपराध संदेह से परे सिद्ध न किया जाय। (पैरा 14)(178-जी०एच; 179-ए)

गंगाधर उर्फ गंगाराम बनाम म०प्र० राज्य
दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार दाण्डिक अपील संख्या 504 सन् 2020

म० प्र० उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की दाण्डिक अपील संख्या-421 सन् 2012 के निर्णय एवं आदेशि दिनांकित-02.01.2019 से

सुश्री निरुपमा चतुर्वेदी ए०ए०जी०, पुनीत जैन, सुश्री प्रतिभा जैन, सुश्री चिस्ती जैन, सनी चौधरी, हर्ष पराशर अधिवक्तागण पक्षकारों की ओर से

न्यायालय का निर्णय उदघोषित किया गया नवीन सिन्हा जे द्वारा

1- छूट प्रदान की गयी।

2- अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 8 सी सपठित धारा 20(बी)स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (उसमें उसके पश्चात कहा गया एन०डी०पी०एस० अधिनियम) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास गलती की शर्त के साथ की सजा सुनाई गयी थी को चुनौती दी गयी है।

3- अपीलार्थी को मतदाता सूची वर्ष 2008 पर निर्भर होकर मकान का स्वामी माना गया था जहाँ से गांजा की बरामदगी की गयी थी। उसका प्रतिरक्षा में यह कथन अस्वीकार कर दिया गया कि उसने मकान का विक्रय सह-अभियुक्त को 12.06.2009 को कर दिया था। गोकुल डागी परीक्षण में दोषमुक्त हो गया था।

4- श्री पुनीत जैन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि दोषसिद्धि जो कि मकान के स्वामित्व की उपधारणा पर आधारित थी जो कि बिना सचेत कब्जे के निष्कर्ष के विपरीत थी न टिकने वाला है। भरोसा किया गया- **गोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002)9 एस०सी०सी० 595।** पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गोकुल डागी प्रतिबन्धित माल मकान में रखे है। अपीलार्थी और घासीराम, ग्राम चौकीदार द्वारा अभियुक्त के मकान की शिनाख्त तब की गयी जब पुलिस तलाशी व अधिग्रहण हेतु गांव में आयी। दोनों ही पंचनामा के साक्षी थे जब मकान का ताला तुड़वाया गया प्रतिबंधित माल की बरामदगी हेतु। यह साफ है क्यों अपीलार्थी पुलिस को अपने मकान में लेकर जायेगा ताला तुड़वायेगा तथा प्रतिबंधित माल बरामद करायेगा अपने को फंसाने के लिए। घासीराम और पी०डब्लू०-11 दोनों ही विक्रयकरार दिनांकित-12.06.2009 प्रदर्श पी०-28 के साक्षी हैं जो अपीलार्थी द्वारा गोकुल डागी के पक्ष में निष्पादित किया गया है के साक्षी है। उसको पुलिस के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अगले दिन प्रस्तुत कर दिय गया था परन्तु पुलिस द्वारा उसका अन्वेषण नहीं किया गया। घासीराम को न समझने योग्य कारण से परीक्षित नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत की प्रविष्टियां **उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट (2020) 7 एस०सी० आर०,** मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में अन्वेषित नहीं की गयी थी। अपीलार्थी को बाद में विवेचना के दौरान अभियुक्त बना दिया गया था क्योंकि पुलिस द्वारा विवेचना ठीक से नहीं की गयी।

5- सुश्री स्वारूपमा चतुर्वेदी, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि पी०डब्लू०-11 द्वारा विक्रयकरार का साक्षी होने से इंकार किया गया इस कथन के साथ कि उसका निशानी अंगूठा प्रतिरूपित किया गया है। विलेख इसलिए एक जाली तथा गढ़ा हुआ दस्तावेज है। जो कि मतदाता सूची 2008 से पुष्ट होता है कि मकान अपीलार्थी का था। ग्राम पंचायत अभिलेख भी अपीलार्थी के स्वामित्व को दर्शित करता है।

6- हम लोगों ने पक्षों के कथनों पर विचार किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी परिशीलन किया।

पी०डब्लू०-6 प्रथम अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह गवाही दी गयी कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गोकुल डागी ने प्रतिबंधित माल का भंडारण मकान में किया है। अपीलार्थी एवं घासीराम व अन्य ग्रामवासियों के साथ गोकुल डागी के मकान की शिनाख्त की गयी 11.08.2019 को जहाँ से ताला तोड़ने के बाद बरामदगी हुई साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि। 12.08.2009 को अपीलार्थी द्वारा विक्रयकरार दिनांकित-12.06.2009 (प्रदर्श पी०-28) उसको प्रस्तुत किया परन्तु उसके द्वारा उसका अन्वेषण नहीं किया गया। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि ग्राम पंचायत अभिलेख में स्वामित्व का व्यौरा उल्लिखित होता है उसका भी उसके द्वारा अन्वेषण नहीं किया गया। पी०डब्लू०-16 जिसके द्वारा विवेचना प्राप्त की गयी पहले विवेचक के स्थानान्तरण के उपरान्त उसके द्वारा घासीराम तथा पी०डब्लू०-11 तथा अन्य का कथन अभिलेखित किया गया। अपीलार्थी को तब मतदाता सूची वर्ष 2008 में नाम दर्ज होने के आधार पर अभियुक्त बनाया गया। पी०डब्लू०-6 के साक्ष्य के विपरीत साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पहले विवेचक द्वारा ग्राम पंचायत अभिलेख को देखा गया। विक्री समझौता का अन्वेषण न करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के बारे में यह स्वीकार किया गया कि वह उस मकान में निवास नहीं करता जहाँ से प्रतिबंधित माल की बरामदगी हुई। परन्तु यह अभिकथन किया गया कि वह उसे भंडारण कक्ष के रूप में प्रयोग करता था बिना किसी साक्ष्य के आधार पर।

7- पी०डब्लू०-3 और पी०डब्लू०-7 पुलिस सिपाही जो पी०डब्लू०-6 के साथ गया था उसके द्वारा भी यह गवाही दी गयी कि अपीलार्थी और घासीराम द्वारा मकान की शिनाख्त गोकुल डागी के मकान के रूप में की गयी जिसकी संपुष्टि पंचायत अभिलेखों से होती है।

8- घासीराम ग्राम चौकीदार उपयुक्त व्यक्ति है जो मकान के स्वामित्व व कब्जे के बारे में जान सकता है। वह विक्रयकरार (प्रदर्श पी०-28) के **गंगाधर उर्फ गंगाराम बनाम म०प्र० राज्य (नवीन सिन्हा जे०)** दो साक्षियों में एक था। अभियोजन द्वारा अकथनीय कारणों से उसको परीक्षित नहीं कराया गया। पी०डब्लू०-11 द्वारा विक्रय करार में अपने अंगूठा निशान होने से इन्कार किया गया एवं कथन किया गया कि वह गढ़ा अभिलेख है। अभियोजन द्वारा विधि विधान की आख्या प्राप्त नहीं की गयी। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने मकान में परिदर्शन नहीं किया और वह अपने नये मकान में 15 वर्षों से रह रहा है इस जानकारी को अस्वीकार करते हुए कि स्वामी कौन है। 9- तब भी उसके कथनो को वेदवाक्य माना गया बिना किसी अग्रिम विवेचना के। अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा अधिनियम की धारा-35 व धारा-54 में कब्जे को संतुष्ट रूप से समझाने के लिए खण्डनीय है। यह अभियोजन को सभी आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने की बाध्यता से अभिमोचित नहीं करता। सबूत के विपरीत भार का अनुमानित प्रावधान दोषसिद्धि को सम्भाव्यता की प्रधानता के आधार पर प्रतिबिम्बित नहीं करता। धारा-35(2) यह प्रावधानित करता है कि कोई भी तथ्य तब साबित माना जायेगा जब वह संदेह से परे स्थापित हो ना कि सम्भाव्यता की प्रधानता पर। अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को अधिनियम के अन्तर्गत कम नहीं किया जा सकता है को नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008)16 एस०सी०सी० 417 में विचार किया गया अवलोकन "58-- प्राराम्भिक भार अधिमान रहता है अभियोजन पर और जब वह पूरी तरह संतुष्ट होता है तब विधिक भार परिवर्तित हो जायेगा तब भी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने का मानक उस स्तर तक उच्च नहीं होता है जैसा कि अभियोजन का होता है। जबकि सबूत का मानक अभियुक्त के अपराध को साबित करने हेतु सभी "उचित संदेह से परे होता है जबकि अभियुक्त के लिए " सम्भाव्यता की प्रधानता" होता है। अगर अभियोजन आधारभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है ताकि धारा-35 की कठोरता को आकृष्ट कर सके तो दोषपूर्ण कार्य जो कि प्रतिबंधित माल का कब्जा। अभियुक्त के पास से स्थापित नहीं कहा जा सकता। 59 अधिनियम की धारा-54 की आवश्यकता को परिधि में लाने के दृष्टिगत प्रतिबंधित माल के कब्जे के तथ्य को साबित करना आवश्यक है ताकि भार अभियुक्त की तरफ परिवर्तित हो जाय। प्रावधान जो कि सामान्य नियम का अपवाद है जिससे व्यापकता का संचालन जारी रहेगा अर्थात कब्जे के तथ्य को संदेह से परे साबित करना आवश्यक है" 10- एन०डी०पी०एस० अधिनियम के कठोर प्रावधान जैसे कि धारा-37, 10 वर्ष की न्यूनतम सजा, प्रेषण के सम्बन्ध में कोई प्रावधान **उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट (2020)7 एस०सी०आर०** ना होना अन्वेषण अभियोजन के प्रथम दृष्टया केस स्थापित करने की आवश्यकता से अभिमुक्ति नहीं देता तब इसके बाद सबूत का भार अभियुक्त पर परिवर्तित होगा। सजा की गंभीरता तथा कड़े प्रावधान होने से साक्ष्य के उच्च जांच के आधारभूत तथ्य को अभियोजन द्वारा

स्थापित करना होगा।

11- यह दृष्टमान है कि चूंकि पुलिस प्रश्नगत मकान के स्वामित्व व कब्जे के सम्बन्ध में असमंजस की स्थिति में थी जो त्रुटिपूर्ण त्रुटियुक्त और अपूर्ण अन्वेषण के कारण थी जिस कारण अपीलार्थी को आलिप्त करना सुविधापूर्ण हो गया आशावादी रूप से की कम से कम दो में एक दोषसिद्ध हो सकता था। श्री जैन द्वारा सही कथन किया गया कि सामान्य मानवीय विवेक से यह तर्कसंगत है कि अपीलार्थी जो कि अपने नये मकान में 15 वर्षों से निवास कर रहा था वह अपने भूतपूर्व मकान की पहचान अभियुक्त गोकुल डागी के मकान के रूप में करेगा, अभियुक्त बनने हेतु, ताला तोड़वाने हेतु साक्षी बनने एवं बरामदगी हेतु अपने को फंसाने के लिए।

12- अपीलार्थी द्वारा विक्रयकरार प्रदर्श पी०-28 तत्परता से प्रतिबन्धित माल की बरामदगी के अगले दिन प्रस्तुत कर दिया गया था उसकी विशुद्धता को पुलिस द्वारा अन्वेषित नहीं किया गया था और न पंचायत अभिलेख का सत्यापन किया गया। पंचायत अभिलेख लोक दस्तावेज है और मकान के स्वामित्व एवं कब्जे के निर्धारण हेतु सर्वोत्तम साक्ष्य होते। सर्वोच्च साक्ष्य होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा विचार कर प्रमाणपत्र प्रदश पी०-37 जो कि पी०डब्लू०-14 द्वारा हस्ताक्षरित किया गया जिसने अपने हस्ताक्षर को अभिस्वीकार किया परन्तु प्रमाणपत्र के विषयवस्तु से इन्कार किया गया को प्राप्त किया गया। मतदाता सूची की प्रविष्टि जो कि वर्ष 2008 की थी वह विक्रय के पहले की थी का कोई परिणाम नहीं है। यह भी बिना कारण कि सहअभियुक्त फरार है।

13- अपीलार्थी को मतदाता सूची वर्ष 2008 में स्वामी होने के दृष्टिगत दोषी मानते हुए दोषसिद्ध किया गया है इस तथ्य से अनभिज्ञ हो करके कि विक्रयकरार 12.06.2009 के पश्चात् का था- अभियोजन द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि प्रदर्श पी०-18 फर्जी एवं काल्पनिक था- अभियोजन द्वारा सहअभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं प्रस्तुत की गयी।

14- उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति के दृष्टिगत यह धारण करना सम्भव नहीं है कि अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के साथ मकान का सचेत कब्जा स्थापित किया गया है ताकि स्वायक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिबन्धित माल के बरामदगी के सम्बन्ध में उपधारणा की जा सके- अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार की नींव अनुमान और अनुमान **गंगाधर उर्फ गंगाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (नवीन सिन्हा जे०)** एवं सम्भाव्यता की प्रधानता की समाप्ति पर नहीं हो सकती अपराध संदेह से परे सिद्ध किये बिना।

15- पुलिस की जांच अत्यन्त लापरवाही से बिना रुचि के तथा तुच्छ प्रकृति की थी। अपीलार्थी को निष्पक्ष जांच के अधिकार से वंचित कर दिया गया जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत सभी अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण की प्रत्याभूति का पहलू है। विचारण न्यायालय द्वारा सबूतो पर विचार करना, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विकृति की सीमा है जिसके लिए कोई साक्ष्य नहीं था। दो न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का घोर गलत मूल्यांकन, पुलिस की खराब बात की बीत छोड़ दीजिए के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को उस अपराध के लिए कारावास भुगतना पड़ा जो उसने कभी किया ही नहीं था।

16- सामान्यतः यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए साक्ष्य के मूल्यांकन में तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु प्रस्तुत मामले में, व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में, अगर न्यायालय यह संतुष्ट हो जाता है कि अभियोजन द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया गया, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये अपर्याप्त थे और निचली अदालतो द्वारा साक्ष्यो का घोर गलत मूल्यांकन किया गया विकृति की सीमा पर यह न्यायालय व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में बाधा नहीं डालेगा।

17- अपीलार्थी की दोषसिद्धि अक्षरणीय है अतः अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी दोषमुक्त किया जाता है। उसे तुरन्त रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। जब तक वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

18- अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार की जाती है।

अंकित ज्ञान

क्षितीश पाण्डेय